संख्या- 102/2017/2645/**33-3-2017-112/2017**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: 20 नवम्बर, **2017**

विषय: उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के घर पर शौचालयों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, श्रम उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, श्रम निर्माण बोर्ड के पत्रांक:-**3447-50/** भ0नि0बो0 **(250**बी**)/2017** दिनांक **25.10.2017 (**प्रतिलिपि संलग्न**)** द्वारा यह निर्देश निर्गत किया है कि "बोर्ड द्वारा संचालित 'आवास सहायता योजना' में इस आशय का प्राविधान किए गए हैं कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा अपने जमीन पर आवास निर्माण कराये जाने की स्थिति में शौचालय का निर्माण भी आवश्यक रूप से कराया जायेगा । इसी प्रकार भवन क्रय की स्थिति में भी शौचालय युक्त भवन क्रय की शर्तें रखी गयी हैं। बोर्ड की **37**वीं बैठक में इस आशय की भी सहमत दी गयी है कि ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, जिनके अपने आवास है तथा उनमें शौचालय की सुविधा पूर्व से नहीं है, के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन करने पर रू **12,000/- (**बारह हजार रू**0)** अनुदान के रूप में दिया जायेगा।"

बोर्ड के उक्त पत्र द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि "यह धनराशि दो किश्तों में उनके बैंक खाते में दी जायेगी। प्रथम किस्त रू **6,000/- (**छ: हजार रू**0)** की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में तथा द्वितीय किस्त रू **6,000/- (**छ: हजार रू**0)** की धनराशि शौचालय निर्माण के उपरांत उसका उपयोग प्रारम्भ करने पर उपलब्ध कराई जायेगी।" उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं **:-**

1-सर्वप्रथम जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के उपश्रमायुक्त**/**सहायक श्रमायुक्त से सम्पर्क कर अपने जनपद के उ**0**प्र**0** भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची प्राप्त की जायेगी। उक्त सूची एवं बेसलाइन सर्वे का मिलान कर सचिव ग्राम पंचायत**/**स्वच्छाग्रही के द्वारा ग्राम पंचायतवार, पंजीकृत श्रमिक**/**लाभार्थीवार सर्वे कराकर **(**संलग्नक**-1)** शौचालय विहीन पंजीकृत श्रमिकों की सूची तैयार की जायेगी। ग्राम पंचायतवार शौचालय विहीन पंजीकृत श्रमिकों की सूची का **Random basis** के आधार पर कम से कम **10** प्रतिशत लाभार्थी श्रमिकों का **Cross verification** सहायक विकास अधिकारी **(**पं**0)** एवं खण्ड प्रेरक के द्वारा किया जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

2-ऐसे श्रमिक जो कि पूर्व में पंजीकृत हैं और जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है उनका नवीनीकरण श्रम विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कराया जायेगा।

3-सहायक विकास अधिकारी पंचायत**/**खण्ड प्रेरक द्वारा तैयार की गयी शौचालय विहीन पंजीकृत श्रमिकों की उक्त सूची के आधार पर शौचालय निर्माण के लिए पंजीकृत श्रमिकों से सचिव ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न आवेदन पत्र पर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे**(**संलग्नक**-2)**। प्राप्त आवेदन के आधार पर पंजीकृत श्रमिकों को शौचालय निर्माण हेतु संलग्न प्रारूप **(**संलग्नक**-3)** पर स्वीकृत पत्र निर्गत किये जायेंगे**,** जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि शौचालय निर्माण की प्रथम किस्त रू**0 6,000/-** की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में तथा द्वितीय किस्त की धनराशि रु**0 6,000/-** निर्माण होने के उपरान्त शौचालय का उपयोग प्रारम्भ करने पर श्रम विभाग द्वारा श्रमिक के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

4-जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा शौचालय विहीन श्रमिकों की संकलित सूची अपनी संस्तुति सहित श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर उप श्रमायुक्त**/**सहायक श्रमायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

5-जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त सूची के आधार पर श्रम विभाग द्वारा शौचालय विहीन श्रमिक के बैंक खाते में प्रथम किस्त रू**0 6,000/-** की धनराशि शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

6-पंजीकृत शौचालय विहीन श्रमिकों द्वारा शौचालय का निर्माण पूर्ण करने व उसका उपयोग करने का कार्यपूर्ति प्रमाण**-**पत्र **(**संलग्न**-4)** सचिव**,** ग्राम पंचायत द्वारा विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका सत्यापन खण्ड प्रेरक द्वारा किया जायेगा। खण्ड प्रेरक के सत्यापन उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण**-**पत्र और शौचालय का प्रयोग प्रारम्भ कर दिये जाने की रिपोर्ट सहायक विकास अधिकारी**(**पं**0)** की संस्तुति सहित जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा संकलित कार्यपूर्ति प्रमाण**-**पत्र एवं शौचालय का प्रयोग प्रारम्भ कर दिये जाने सम्बन्धी श्रमिकवार रिपोर्ट मूल रूप से श्रम विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी व उसकी एक छायाप्रति अभिलेख हेतु अपने कार्यालय में संरक्षित की जायेगी।

7-जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपूर्ति प्रमाण**-**पत्र के आधार पर शौचालय निर्माण की द्वितीय किस्त रू**0 6,000/-** की धनराशि श्रम विभाग द्वारा श्रमिक के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

8-शौचालय निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्री से कराये जाने एवं निर्माण हेतु सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सचिव ग्राम पंचायत**/**सहायक विकास अधिकारी **(**पंचायत**)** द्वारा सहयोग प्रदान करते हुए कराया जायेगा।

9-प्रत्येक दशा में दो गढ्ढे वाले लीच पिट शौचालय **(**ट्विन पिट तकनीकी**)** वाले शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

10-पंजीकृत श्रमिकों को शौचालय निर्माण एवं प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिये **Inter Personal Communication(IPC)** एवं **Behaviour Change Communication (BCC)** आदि गतिविधियां स्वच्छ भारत मिशन **(**ग्रामीण**)** के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों द्वारा की जायेगी।

11-निर्मित होने वाले शौचालयों के वित्तीय स्रोत में श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन धनराशि यूनीक कोडिंग के समय अवश्य लिखा जायेगा।

http://shasnadeshup.nic.in

12-इसके उपरान्त निर्मित शौचालयों का लाभाथ्रवार एम**0**आई**0**एस**0** डेटा इंट्री माडयूल के अन्तर्गत **C01 Entry Module for GP Level Beneficiary Progress** पर कराया जायेगा तथा वित्तीय प्रगति के **Option** के बिन्दु **Toilet Constructed From*** पर **Non SBM** पर दिखायी जायेगी एवं बिन्दु **Non SBM Other Scheme Name*** पर उ**0**प्र**0** कर्मकार कल्याण बोर्ड दर्शाया जायेगा।

13-प्रत्येक निर्मित शौचालय पर यूनीक कोडिंग करने व **Geo-Tagging** सहित भारत सरकार की वेबसाइट पर फोटो अपलोड करने का दायित्व सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।

14-जनपद द्वारा प्रत्येक माह की **05** तारीख तक विगत माह की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर अपडेट की जायेगी **(**संलग्नक**-5)**।

अत: कृपया अपर मुख्य सचिव**,** श्रम**/**अध्यक्ष श्रम निर्माण बोर्ड के पत्र दिनांक **25.10.2017** एवं उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराकर पंजीकृत श्रमिकों के लिए शौचालयों का निर्माण यथाशीघ्र प्रारम्भ कराते हुए **31** मार्च **2018** तक शौचालय विहीन समस्त पंजीकृत श्रमिकों हेतु शौचालय निर्माण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक</u>**-**

1-पंजीकृत श्रमिकों के सर्वे का प्रारूप।

2-श्रम विभाग द्वारा जानी आवेदन**-**पत्र का प्रारूप।

3-स्वीकृति**-**पत्र।

4-कार्यपूर्ति प्रमाण**-**पत्र।

5-मासिक प्रगति रिपोर्ट।

6-श्रम विभाग द्वारा जारी शासनादेश।

भवदीय**,**

(चंचल कुमार तिवारी**)**

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:-तदैव</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित **:-**

1-अपर मुख्य सचिव श्रम**/**अध्यक्ष**,** बोर्ड उ**0**प्र**0** शासन।

2-समस्त मण्डलायुक्त**,** उ**0**प्र**0**।

3-मिशन निदेशक**,** स्वच्छ भारत मिशन **(**ग्रामीण**),** उ**0**प्र**0**।

4-समस्त क्षेत्रीय अपर**/**उप**/**सहायक श्रमायुक्त उ**0**प्र**0**।

5-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक**(**पं**0)** उ**0**प्र**0**।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से**,**

(जोगेन्द्र प्रसाद **)**

उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

1	शिशु हितलाभ योजना		2	मातृत्व हितलाभ योजना	
3	मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना		4	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	
5	कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना		6	कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना	
7	अन्त्येष्ठि सहायता योजना		8	निर्माण कामगार बालिका मदद योजना	
9	निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना		10	अक्षमता पेंशन योजना	
11	सौर उर्जा सहायता योजना		12	आवास सहायता योजना	
13	साईकिल सहायता योजना		14	पेंशन योजना	
15	संत रविदास शिक्षा सहायता योजना		16	चिकित्सा सुविधा योजना	

1. निर्माण श्रमिक का नाम.....पिता/पति का नाम.....
.....

2. पंजीयन संख्या.....पंजीयन दिनांक.....
.....

3. आधार संख्या.....
(छायाप्रति संलग्न)

4. निर्माण श्रमिक का मोबाइल नम्बर..... .....
.....

5. राष्ट्रीयकृत बैंक खाता संख्या (सी0बी0एस0 बांच).....
बैंक का नाम..... .....
बैंक शाखा का पता.....

आई0एफ0एस0कोडसंख्या .....

6. वर्तमान पता.....

7. स्थाई पता.....
.....

8. विवाहित/अविवाहित.....

http://shasnadeshup.nic.in

9. यदि पति, पत्नी, दोनो पंजीकृत है तो पति/पत्नी की पंजीयन संख्या (आवेदनकर्ता से भिन्न).....

.....

10. आवश्यक स्वप्रमाणित अभिलेखों की सूची:-

(क)-श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति

(ख)-आधार कार्ड की छायाप्रति

(ग)-बैंक पासबुक की छायाप्रति (एकाउन्ट न0 शाखा का पता व आई एफ एस सी कोड हेतु).

.....

(घ)-सम्बन्धित योजना से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/सूचना:-

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

घोषणा

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई समस्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य झूठा/विपरीत पाया जाता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी द्वारा इस योजना में लाभ प्राप्त नहीं किया गया है/आवेदन नहीं किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

प्राप्ति-रसीद

श्री/श्रीमती/कु0.....पिता/पति.....पंजीकरण संख्या.....से आज दिनांक.....को एक प्रार्थना-पत्र..... .....योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम मोहर.....
दिनांक.....

http://shasnadeshup.nic.in

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिको के घर पर शौचालयों का निर्माण कराये जाने हेतु सर्वे का प्रारूप-

जनपद का नाम: .....

विकास का नाम: .....

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व गांव का नाम	मजरे का नाम	श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या	बेसलाइन के अनुसार परिवार आई.डी.	पंजीकृत श्रमिक का नाम	पिता/ पति का नाम	लिंग	श्रेणी		उप श्रेणी	शौचालय उपलब्धता की स्थिति	
									ए.पी.एल.	बी.पी.एल.		शौचालय युक्त	शौचालय विहीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	

नोटः- पंजीकृत श्रमिकों का सर्वे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोडेड लाभार्थीवार विवरण के मिलान के आधार पर किया जायेगा।

सचिव ग्राम पंचायत का हस्ताक्षर.....

नाम.....

.....

पद नाम की मोहर.....

.....

दिनांक.....

http://shasnadeshup.nic.in

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण श्रम कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिको के घर पर शौचालयों का निर्माण कराये जाने का प्रारूप

जनपद का नाम- **माह-**

क्रम सं.	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमे पंजीकृत श्रमिक पाये गये	कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	बेसलाइन के अनुसार लक्षित श्रमिकों की संख्या	शौचालय निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या		शौचालय निर्माण हेतु जारी स्वीकृत पत्रों की संख्या		प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये गये शौचालयों की संख्या		जनपद स्तर पर निर्मित शौचालयों की प्राप्त कार्यपूर्ति		प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये गये शौचालयों की संख्या		निर्मित शौचालयों की GeoTagging सहित फोटो अपलोड की संख्या	
					(माह)	(क्रमिक मे)	(माह)	(क्रमिक मे)	(माह)	(क्रमिक मे)	(माह)	(क्रमिक मे)	(माह)	(क्रमिक मे)	(माह)	(क्रमिक मे)
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	

सचिव ग्राम पंचायत का हस्ताक्षर.....
.....
नाम.....
.....
पद नाम की मोहर.....
.....
दिनांक.....

http://shasnadesh.up.nic.in

स्वीकृति पत्र

पंजीकृत श्रमिक श्री/श्रीमती.....

पुत्र/पुत्री.....

श्रेणी.....

पता.....

.....

आपको स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत संचालित खुले में शौच मुक्त अभियान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्यनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु चयनित किया गया है। आपके द्वारा व्यक्तिगत शौचालय निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

1. आपके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत लीज पिट शौचालय का निर्माण निम्न मानकों के अनुरूप किया जायेगा:-

- **दो जालीदार गड्ढे (प्रत्येक गड्ढे की 1.23 मीटर चौडाई एवं 1.20 मीटर गहराई)**
- **दोनों गड्ढे के बीच 1 मीटर की दूरी।**
- **गड्ढे के ऊपर मजबूत पिट कवर (ढलाई करते हुए सरिया युक्त)।**
- **एक जंक्शन चैम्बर (जिसकी लम्बाई 9 सेमी0 चौडाई 9 सेमी0 गहराई 9 सेमी0) जो गड्ढों के पाट से जोड़ेगा।**
- **शौचालय कक्ष (न्यूनतम आन्तरिक लम्बाई 1.10 मीटर चौड़ाई 1 मीटर ऊँचाई आगे से 2.10 मीटर पीछे से 1.90 मीटर)**
- **शौचालय की दीवार से बाहर की तरफ पानी की टंकी (लम्बाई 24 सेमी0 चौड़ाई 18 सेमी0 गहराई 24 सेमी0) जिसमें शौचालय के भीतर की तरफ एवं बाहर की तरफ टोटी लगी हो, बनाई जायेगी।**
- **शौचालय की छत की गुणवत्तापरक ढलाई।**
- **रंगाई, पुताई (सफेद रंग पूरे शौचालय पर व लाल रंग की बार्डर पट्टी)।**
- **लाभार्थी (स्वयं) का नाम, योजना का नाम, स्वच्छता स्लोगन (पीले रंग से बेस पर लाल रंग से) का शौचालय पर लेखन।**
- **शौचालय से जल स्रोत की दूरी कम से कम 10 मीटर।**

http://shasnadeshup.nic.in

2. प्रोत्साहन धनराशि 12000.00 (बारह हजार रू0) दो किश्तो में प्रदत्त की जायेगी :-

क्र0 सं0	किश्त	धनराशि का आवंटन	प्रदत्त करने का समय
1	प्रथम किश्त	6000 रू0	• शौचालय निर्माण के पूर्व प्रोत्साहन के रूप में
2	द्वितीय किश्त	6000 रू0	• शौचालय निर्माण के उपरान्त उसका प्रयोग करने के उपरान्त

3. शौचालय का निर्माण प्रशिक्षित राजमिस्त्री से ही कराया जायेगा।

4. शौचालय का निर्माण 15 दिन के भीतर अवश्य करना होगा।

उपरोक्तानुसार शर्तो के उल्लंघन पर तथा समयबद्ध रूप से मानकों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण तरीके से शौचालय का निर्माण न करने पर लाभार्थी को अग्रिम किश्ते प्रदत्त नही की जायेगी और पूर्व प्रदत्त किश्तों की उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक.....

ग्राम प्रधान/अध्यक्ष ग्र0पं0 का नाम.....हस्ताक्षर (मोहर सहित)

ग्राम पंचायत सचिव का नाम.....हस्ताक्षर (मोहर सहित)

पावती

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी.....

निवासी.....को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत संचालित खुले में शौच मुक्त अभियान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्यनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आज दिनांक .....को स्वीकृति पत्र प्राप्त कराया गया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर जारीकर्ता/ सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर (नोट-कृपया स्वीकृति पत्र दो प्रतियों में बनाये, एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखे।)

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

पंजीकृत श्रमिक का नाम-.....

पिता /पति का नाम-.....

पंजीयन संख्या-.....

आधार संख्या-.....

श्रमिक का मोबाइल नम्बर-.....

आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक को योजनाओं के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया गया था जिसके क्रम में आदेवक द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया गया है।

शौचालय निर्माण एवं प्रयोग प्रमाणकर्ता-

सचिव ग्राम पंचायत का हस्ताक्षर.....

नाम .....

पद नाम की मोहर.....

दिनांक.....

सत्यापन कर्ता-

खण्ड प्रेरक का हस्ताक्षर.....

नाम .....

दिनांक.....

संस्तुतिकर्ता-

सहायक विकास अधिकारी(पं0) का हस्ताक्षर.....

नाम .....

पद नाम की मोहर.....

दिनांक.....

http://shasnadeshup.nic.in